(136)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4502–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2013 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला इंदौर प्रकरण कमांक 83 / बी–103 / 12–13 / 33.

बद्रीलाल पिता नरसिंहजी कलौता
निवासी ग्राम बसान्द्रा
तहसील हातोद जिला इंदौर ....आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– म0प्र0 शासन तर्फे कलेक्टर आफ स्टाम्प
जिला इंदौर
2– बद्रीलाल पिता जालमजी कलौता
3– रामेश्वर पिता जालमजी कलौता
4– सौदानसिंह पिता पदमसिंहजी कलौता
5– अनसुईया बेवा पदमसिंह कलौता
6– गिरधर पिता भुवानजी कलौता
7– छोटू पिता भुवानजी कलौता
8– जमनाबाई बेवा रामचंद्रजी कलौता
9– सोहन पिता रामचंद्रजी कलौता
निवासीगण ग्राम बसान्द्रा
तहसील हातोद जिला इंदौर ....अनावेदकगण

श्री राममूर्ति वैष्णव, अभिभाषक एवं
श्री राकेश त्रिवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क0 1
श्री अरविन्द सोनकर, अभिभाषक, अनावेदक क0 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/5/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हातोद जिला इंदौर ने पत्र दिनांक 8–4–13 के संलग्न निष्पादित इकरारनामा दिनांक 25–6–2000 पर्याप्त रूप से स्टाम्पित किये जाने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला इंदौर को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 83/बी–103/12–13/33 दर्ज कर दिनांक 29–7–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 1,49,000/–निर्धारित करते हुए कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 13,224/– तथा अधिनियम की धारा 40 (1)(ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड 5 गुना राशि 66,120/– कुल रूपये 79,344/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही उससे जवाब लिया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अनावेदक कमांक 2 लगायत 9 के साक्ष्य भी नहीं लिये गये हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि जिन न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश में किया गया है, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेज के शीर्षक के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, उसकी विषय वस्तु पर कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अनपढ़ व्यक्ति है और उसे कानून का ज्ञान नहीं है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आवेदक पर 5 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित करने में घोर अन्याय की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत म.प्र. लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियमों का विधिवत पालन करते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए आवेदक पर 5 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हातोद जिला इंदौर द्वारा आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के

मध्य निष्पादित विक्रय इकरारनामा पर्याप्त रूप से स्टाम्पित किये जाने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा गया है, जिसके आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुबंधकर्ता अनावेदक कमांक 2 एवं अनुबंधग्रहीता आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य दिनांक 25—6—2000 को विकय इकरारनामा 50/— रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित हुआ है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उप पंजीयक से वर्ष 2000 की औसत मूल्य प्राप्त की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का मूल्यांकन कर, कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 13,224/— अवधारित कर अधिनियम की धारा 40 (1)(ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड 5 गुना रूपये 66,120/— कुल राशि 79,344/— जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—7—2013 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर